[Shri Badanbrata Barua]

Order dated 20th July 1973 of the Central Government thereon.

(v) Report under section 22(3) (b) of the said Act in the case of M/s. T. V. Sundram Iyengar and Sons Private Limited, Madurai and the Order dated 2nd December 1972 of the Central Government thereon.

(vi) Report under section 21(3) (b) of the said Act in the case of M/s. Hindustan Aluminium Corporation Limited, Bombay and the Order dated 31st July, 1973 of the Central Government thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Report and orders of Government thereon simultaneously

[*Placed in Library. See.* No. LT-5897/73]

12.04 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Alleged registration of Indian Cotton Mills Federation under Indian Trade Unions Act to avail Exemption from Income-Tax.

श्री मधु लिमये बांका : अध्यक्ष महोदय में जो प्रश्न उठाना चाहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 11 के तहत चैरिटेबल परपजेज के लिये जो आमदनी होती है वह इनकम टैक्स के लिये मानी नहीं जाती है। उसे माफ किया जाता है और उसी के तहत भारत की ट्रेड यूनियन्स भी आती हैं। ट्रेड यूनियन कानून का दुरुपयोग कर के इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने जो भारत के कारखाने दारों की सब से शक्तिशाली जमात है, उस ने अपने को इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाया। इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन-उस से शक्तिशाली जमात कोई और नहीं है, उस ने अपने को रजिस्टर्ड करवाया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) नही हो सकता।

श्री मधु लिमये : वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं तो मैं इस सवाल को उठाता क्यों? अब कैसे उन्होंने अपने को रजिस्टर करवाया, रिश्वत दे कर किया होगा या कैसे कि होगा, मैं नहीं कह सकता। दस साल तक उस का रजिस्ट्रेशन इस कानून के तहत बम्बई में रहा। मेरे पास इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट है। उस में ट्रेड यूनियन की परिभाषा की गई है--पृष्ठ 2 पर 2(एच) में है :

"Trade Union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or between workmen and workmen or between employers and employers or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and includes any federation of two or more trade unions".

इस की कभी परिभाषा नहीं हुई और उस का फायदा उठा कर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया जिस के फलस्वरूप दस साल तक इन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा। मैंने हिसाब लगाया है, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन को इन्कमटैक्स के तहत इस तरह की छूट बिलकुल नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या वह इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नहीं वह अलग सवाल है, उस का खुलासा संबंधित मंत्री महोदय करेंगे। लेकिन जहां तक वित्त मंत्रालय का सवाल है मेरा यह कहना है कि इन को इनकम टैक्स में छूट तो बिलकुल नहीं मिलनी चाहिये। दस साल में लगभग 90 लाख रुपये का घाटा वित्त मंत्रालय को हुआ है इनकम टैक्स को लेकर। तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहती हूं . . .

श्री शशिभूषण (दक्षिण दिल्ली) : वह घाटा वसूल किया जाय।

श्री मधु लिमये : उसी लिए मैं यह कह रहा हूं । एक तो मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के संगठनों को कानूनी ढग से रजिस्टर किया जा सकता है ? अगर वर्तमान कानून में कोई दोष है तो क्या उस को दूर करने का वह प्रयास करेंगे क्यों कि जिस जे के आर्गेनाइजेशन का मामला अध्यक्ष महोदय, आया था उस ने भी अपने को इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत रजिस्टर किया है । ट्रेड यूनियन ऐक्ट का सीधा मतलब होता है कि मास्टर सर्वेंट रिलेशन होना चाहिए .....

MR. SPEAKER: Which Ministry do you want to reply?

श्री मधु लिमये : दोनों को । ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत क्या यह रजिस्ट्रेशन हो सकता है ? क्या कानून में दोष है या रजिस्ट्रेशन करने में गलती हुई है ? और दूसरा यह कि वित्त मंत्रालय की बात तो इस में बिलकुल साफ है, इन को छूट तो बिलकुल हो नहीं दी जासकती सरकार को इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत पन्द्रह पन्द्रह साल पुराने केसेज को खोलने की इजाजत है । तो क्या इस को फिर से खोल कर 90 लाख रुपये या इस से भी अधिक हो सकता है, एक करोड़ या सवा करोड़ भी हो सकता है, उस को वसूल करने का काम वित्त मंत्रालय करेगा ? सरकार को इस वक्त आमदनी की कमी भी है । तो पेट्रोल, केरोसिन और गरीबों की दूसरी चीजों के ऊपर टैक्स लगाने के बजाय इस तरह की चोरियों को बन्द कर के आमदनी बढ़ाने का काम सरकार करे । अगर सरकार उत्तर के लिये अभी तैयार नहीं है तो आज दिन में किसी भी समय इन दोनों बातों का खुलासा किया जाय ।

(ii) Reported serious disturbances in Belgaum in connection with Karnataka Maharashtra border dispute.

MR. SPEAKER: I really very much wanted to allow Shri S. M. Banerjee to raise a matter under Rule 377 about Air Corporations Employees' Union decision that Air India employees will boycott charter flights for I.A. He is not here.

Where is Shri Samar Guha? We will fix it for tomorrom—not very much committed, but I have a mind to do it.

Now, we pass on to the next item...

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I have given notice to raise a matter under Rule 377. A very serious law and order situation has developed on the Mysore-Maharashtra border....

MR. SPEAKER: You are asking the Deputy Speaker to allow you to raise it after lunch. This is not to be raised after lunch. That will never be accepted.

PROF. MADHU DANDAVATE: I will just make a reference to it.

MR. SPEAKER: You have made Rule 377 also like a Call Attention. My ruling is that this is never a right.

PROF. MADHU DANDAVATE: That is true. You may overlook that. Please permit me to raise it. This is a very serious matter.

MR. SPEAKER: This is my final ruling. You can say a word or two now.

PROF. MADHU DANDAVATE: I wish to draw the attention of the House to a very serious development that has taken place yesterday in Belgaum. There are serious disturbances creating a serious law and order situation for the Government. Though disturbances started because of the expression of the demonstrators' wrath against the Minister....

MR. SPEAKER: I am sorry; this is a State matter.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is a Central matter, an inter-State matter.

MR. SPEAKER: Even an inter-State matter does not come in here.

PROF. MADHU DANDAVATE: Ultimately, the disturbances that have